संख्याः- 3 /2024/802 /30-2-2024-2(19)/2007टी0सी0

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः16 दिसम्बर,2024**

विषय: उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कर्मिकों को सातवें वेतनमान में दिनांक 05-11-2024 से मूल वेतन का 46 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-79(1)एफए/24-499एफए/74/21 दिनांक 23-04-2024 एवं पत्र संख्या-1058एफए/24-499एफए/74/21 दिनांक 30-07-2024 के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 05-11-2024 के कार्यवृत्त संख्या-1426/44-1-2024 दिनांक 25-11-2024 जो आपको भी पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में अधिकृत समिति(एम्पावर्ड कमेटी) द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(1) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान में मूल वेतन का 46 प्रतिशत की दर से दिनांक 05-11-2024 से मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान की अधिकृत समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के संबंध में कोई एरियर अनुमन्य नहीं होगा।

(2) भविष्य में मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई किश्तों के भुगतान की अनुमति के लिए निगम प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पुन: प्रकरण अधिकृत समिति के समक्ष रखेगा।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसमें आने वाला वित्तीय व्यय-भार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

भवदीय,

ह0
एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-3 /2024/802(1) /30-2-2024-2(19)/2007टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उनके पृष्ठांकन सं0-1426/44-1-2024 दिनांक 25-11-2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0
नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।